प्रार्थना पत्र संख्या 25/24
श्रीराम वगै. बनाम राजस्थान सरकार
निर्णय दिनांक 22.10.2024

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
25/2024	04.07.2022	22.10.2024

बउनवान

श्रीराम पुत्र प्रभूदयाल जाति माली निवासी भण्डपुरा तहसील मण्डावर जिला दौसा (राज.)। ...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा (राज.)। ...अप्रार्थी

उपस्थित –

1. प्रार्थीः– अधिवक्ता श्री गोपालसिंह।
2. अप्रार्थीः– पैरोकार राज।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढ़ी अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया कि भूमि वाके ग्राम रायपुर तहसील मंडावर के आराजी खसरा नम्बर 266 किता 1 रकबा 0.43 हैक्टेयर सम्पूर्ण भाग का प्रार्थी ही एकमात्र खातेदार टीनेन्ट है एवं कब्जे काश्त आराजीयात है। प्रार्थी के पास उक्त आराजी ही एक मात्र आय का जरिया है जिसमें धन व परिश्रम से फसल काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। प्रार्थी अकेला व्यक्ति है जो अपने अन्य घरेलू कार्यों में व्यस्त रहता है, इसलिए अपनी खड़ी फसल की देखभाल समय पर नहीं कर पाता है। प्रार्थी की खड़ी फसल को आवारा पशु नुकसान पहुंचाते रहते है। इसलिये प्रार्थी अपनी आराजी में काश्त को आवारा पशुओं से सुरक्षा के लिये उक्त आराजी की तारबंदी करने के लिए सीमा चिन्ह खड़े करवाना चाहता है। प्रार्थी ने तहसीलदार मण्डावर से उक्त आराजी में दिनांक 04.06.2024 को सीमा चिन्ह खड़े करवाने का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार मण्डावर ने साफ इन्कार कर दिया कि उपजिला कलेक्टर मण्डावर से आदेश प्राप्त होने के बाद ही सीमा चिन्ह खडे किये जा सकते है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद कारण अप्रार्थी द्वारा उक्त आराजी की पैमाईश करने पर सीमा चिन्ह कायम किये जाने के बावजूद भी दिनांक 04.06.2024 को सीमा चिन्ह खडे किये जाने से साफ इन्कार करने से पैदा हुआ है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मण्डावर को निर्देशित किया जावे कि वह प्रार्थी की खातेदारी भूमि वाके ग्राम रायपुर तहसील मंडावर के आराजी खसरा नम्बर 266 किता 1 रकबा 0.43 हैक्टेयर की पत्थरगढी करवाये।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थी को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया कि वाके ग्राम रायपुर तहसील मंडावर के आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.43 हैक्टेयर 0.43 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में खातेदारी श्रीराम पुत्र प्रभूदयाल जाति माली हिस्सा पूर्ण सा. भण्डपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के सीमाज्ञान आवेदन पर प्रार्थी की खातेदारी भूमि का कार्यालय हाजा के आदेश पृष्ठ संख्या 25 कमांक 05 दिनांक 15.05.2024 के द्वारा गठित राजस्व टीम ने उक्त भूमि का दिनांक 31.05.2024 को सीमाज्ञान मौके पर उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में करवाकर

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)

	काश्तकारी अधिनियम 1955				प्रार्थना पत्र
5 दावा	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955	188,53,88	2021/156	173/21	
6 प्रार्थना पत्र	राजस्थान				

निशानात् लगवाये। उक्त भूमि के पत्थरगढी आदेश राजस्व टीम द्वारा सीमाज्ञान के उपरान्त लगाये गये निशानात् के आधार पर किया जाने की अभिशंषा की।

पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के अनुसार, वाके ग्राम रायपुर तहसील मण्डावर के आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि वर्तमान मे खातेदारी श्रीराम पुत्र प्रभूदयाल जाति माली हिस्सा पूर्ण सा. भण्डपुरा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी की तहसीलदार मण्डावर के आदेश दिनांक 15.05.2024 की पालना में दिनांक 31.05.2024 को सीमाज्ञान पैमाइश हो गई है। प्रार्थी अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर तहसील मण्डावर जिला दौसा में स्थित प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 266 रकबा 0.43 हैक्टेयर भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 266 की पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक मण्डावर को 1500/- रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थी की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थी की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक मण्डावर मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण पडौसीयान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मंडावर (दौसा)